

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या: 09/2020

दायर दिनांक: 13.03.2020

निर्णय दिनांक 25.07.2025

—: अनवान :—

विजयराम पिता डालु गुर्जर निवासी पाण्डोलाई तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 1839/2019
सरकार बनाम विजयराम, निर्णय दिनांक 03.10.2019 से व्यथित होकर अपील
अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—

- 1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
- 2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 1839/2019 निर्णय दिनांक 03.10.2019 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का मोही ने राजस्व ग्राम मोही पटवार हल्का, मोही तहसील राजसमन्द की वर्तमान आराजी नम्बर 52 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में से 10 बिस्वा पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, राजसमन्द के यहां रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली के आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिकमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म बिलानाम पड़त थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है, ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिकमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य



Handwritten signature in blue ink.

सबूत पेश करने का पर्याप्त एवं उचित अवसर नहीं मिला है। प्रथम पेशी पर अपीलान्त की अनुपस्थिति में बेदखली का आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी को उक्त सुनवाई का कोई नोटिस ही तामील नहीं हुआ था। अपीलान्त को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह भी साइक्लोस्टाईल निर्णय के रूप में पारित किया गया है। जबकि विधिनुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में समुचित निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है लेकिन उक्त प्रकरण में छपे हुए जो विधि के विपरीत है। प्रफोर्मा में निर्णय पारित किया गया है अपीलान्त का उक्त भूमि पर पिछले 32 से अधिक वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलान्त द्वारा फसल भी प्राप्त की जा रही है। इतने वर्षों से नियमित कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी उक्त भूमि नियमन कराने की पात्रता रखता है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी ने ट्यूबवेल स्थापित कर रखा है तथा इस पर दोनों काश्त अपीलार्थी द्वारा की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त का लम्बा कब्जा आधिपत्य होने पर भी उक्त भूमि अपीलान्त के नाम पर आवंटित/नियमन करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं कर भारी विधिक भूल की है। अपीलान्त का लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य होकर अपीलान्त द्वारा भूमि को लागत लगाकर विकसित किया गया है। अपीलान्त उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/नियमन कराने की पात्रता रखता है। फिर भी इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार नहीं किया है और प्रकरण को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज0 राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे। न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र क्रमांक-प-6 (7) राज-4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/7/1994 से बढ़ाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढ़ाकर 2008 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। मौके पर आज भी अपीलार्थी द्वारा जौ की फसल बो रखी है व खड़ी हुई है। अपीलार्थी उक्त भूमि को नियमन कराने की पूर्ण पात्रता रखता है। लम्बे समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त कर रहा है तथा अपीलार्थी को उक्त भूमि से कभी भी विधिक प्रकिया अपनाकर बेदखल नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्त के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे।

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।



Handwritten signature in blue ink.

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का मोही ने राजस्व ग्राम मोही पटवार हल्का, मोही तहसील राजसमन्द की वर्तमान आराजी नम्बर 52 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में से 10 बिस्वा पर अपीलान्त का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, राजसमन्द के यहां रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्त के विरुद्ध बेदखली के आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्त को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्त ने उक्त भूमि जो कि किस्म बिलानाम पड़त थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है, ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्त को अपनी साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त एवं उचित अवसर नहीं मिला है। प्रथम पेशी पर अपीलान्त की अनुपस्थिति में बेदखली का आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी को उक्त सुनवाई का कोई नोटिस ही तामील नहीं हुआ था। अपीलान्त को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्त के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का मोही ने अपीलार्थी विजयराम पिता डालू गुर्जर निवासी पाण्डोलाई के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम मोही की बिलानाम भूमि पर विजयराम पिता डालू गुर्जर निवासी पाण्डोलाई ने कांटो की बाड़ लगाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का मोही द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। एवं नियत पेशी दिनांक के दिन सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समूचित सुनवाई का अवसर




Handwritten signature

दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालन की जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। एवं वादग्रस्त भूमि बिलानाम होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरुद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। एवं जहां तक अपीलार्थी के वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होने का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।


:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 03.10.2019 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद